		हुक्म की तालीम में जारी हुए
22/4/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दि॰ 06/05/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 22/4/25	
06/05/25	पत्रावली पेश हुई। आमि॰ उभयपक्षकारान उपस्थित। बहस प्रा॰ पत्र u/s 212 RT Act r.w.O. 039 R1&2 cpc के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त स्थगन प्रा॰ पत्र को adjudicate करने के लिये इसे निम्न 03 बिन्दुओं पर जाँचना आवश्यक है:- (अ) प्रकरण प्रथम दृष्टया:- आमि॰ उभयपक्षकारान की बहस के परिपेक्ष्य मे ग्राम डोला की वादग्रस्त आराजी की भू-प्रबंध विभाग की जमाबंदी संवत 2022-41 के अवलोकन से स्पष्ट है कि मूल ख॰ नं॰ 27 रकबा 8-02 बीघा, ख॰ नं॰ 44 रकबा 07 बीघा, ख॰ नं॰ 49 रकबा 8-14 बीघा, ख॰ नं॰ 54 रकबा 14-11 बीघा, ख॰ नं॰ 314 रकबा 0-07 बीघा, ख॰ नं॰ 316 रकबा 1-05 बीघा, ख॰ नं॰ 315 रकबा 0-17 बीघा, ख॰ नं॰ 385 रकबा 0-09 बीघा, ख॰ नं॰ 386 रकबा 0-05 बीघा, ख॰ नं॰ 830 रकबा 3-10 बीघा, ख॰ नं॰ 831 रकबा 11-08 बीघा, ख॰ नं॰ 832 रकबा 2-16 बीघा, ख॰ नं॰ 878 रकबा 10-1[illegible] बीघा, ख॰ नं॰ 873 रकबा 1-10 बीघा, ख॰ नं॰ 881 रकबा 0-16 बीघा व ख॰ नं॰ 886 रकबा [illegible] कुल किता 16 कुल रकबा 80-12 बीघा ग्राम [illegible] देवी ओंकार डांगी के खाते [illegible] ख॰ नं॰ 234 रकबा 19-01 बीघा ओंकार पिता खेमा डांगी के खाते दर्ज रिकार्ड थी। एक महिला की संपत्ति [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:23:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

धारा -14 The Hindu Succession Act 1956 के अनुसार
उनकी absolute property होती है अर्थात उन पर उस
महिला को full ownership होता है और स्वअर्जित संपत्ति
की तरह वह किसी भी transactions के लिए स्वतंत्र होती
है। अतः लीलाबाई (प्रार्थी की दादी) की खाते की
आराजी कित्ता 16 कुल रकबा 80-12 बीघा को प्रार्थी
की पैतृक आराजी नहीं माना जा सकता है। केवल
forth male Generation से undivide रूप से प्राप्त
संपत्ति ही पैतृक संपत्ति मानी जाती है। अतः प्रार्थी
के दादा ओंकारलाल से अप्रार्थी क्रम 1 को प्राप्त
संपत्ति को ही प्रथम दृष्टया ancestral property
माना जा सकता है। ओंकारलाल की आराजी ख० नं०
234 रकबा 2.4155 hec में रामप्रताप का हिस्सा 1/2
(वर्तमान में) दर्ज है। यद्यपि इसमे ~~रामप्रताप~~ ओंकारलाल के अन्य
वारिसान का हिस्सा दर्ज नहीं है। वर्तमान में कोई
भी भूमि सीताबाई पत्नि ओंकार के खाते दर्ज नहीं है
प्रार्थी का कथन है कि सीताबाई बर्षों पूर्व फौत
हो गई थी जिसकी भूमि विरासत से उसके
वारिसान के खाते दर्ज होकर खातेदारों में
भी बटवारा हो गया और पृथक पृथक खाते
दर्ज हो गई है।

प्रार्थी द्वारा ना तो सीताबाई का कोई
नामांतरण पेश किया है और ना ही बंटवारे के आदेश
की प्रतिलिपी पेश की है। [illegible] जमाबंदी संवत 2077-79
के अनुसार ख० नं० 54, 830, [illegible] 881 कित्ता 5
रकबा 5.2229 hec [illegible] रामप्रताप के खाते
दर्ज है जो सेटलमेंट विभाग [illegible] जमाबंदी में अप्रार्थी
क्रम 1 की मां सीताबाई के खाते दर्ज थी
अतः सीताबाई की उक्त आराजी, विरासत के बाद

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:23:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

	हुक्म की तालीम में जारी हुए
खाता विभाजन से अप्रार्थी क्रम 1 के हिस्से आने पर बहस के दौरान कायमकारान के वकील ने सहमति व्यक्त की। वकील कायमपक्ष इस तथ्य पर भी सहमत है कि सीताबाई की भूमि ख०न० 49, 315, 314, 386, 886 कालू पुत्र ओंकार के हिस्से, ख०न० 44, 385, 831 किता 3 रकबा 4.7677 hec किशन पुत्र ओंकार के हिस्से व ख०न० 27, 316, 878 किता 5 रकबा 4.7424 hec शिवलाल के हिस्से आई थी। उपरोक्त आधार पर स्पष्ट है कि भूमि "अविभाजित रूप में" नहीं होकर "विभाजित" हो चुकी है और वारिसान के पृथक पृथक खाते दर्ज हो चुकी है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर ग्राम डोला तहसील पिड़ावा की मृतक सीताबाई की absolute property जो वर्तमान पति ओंकार की नहीं हो में संयुक्त परिवार की अविभाजित भूमि नहीं होने से विभाजित होकर पृथक-2 खाते दर्ज होने से खाता स० 375 किता 5 रकबा 5.2229 hec अप्रार्थी ~~की पैतृक संपत्ति~~ क्रम 1 की पैतृक संपत्ति शामिल नहीं होने से The Hindu Succession Act के अनुसार प्रार्थी का जन्म से कोई हक व Notional share अधिकार निहित नहीं होने से केवल ओंकार में निहित नहीं माना जा सकता है। केवल ओंकार को सहखातेदारी में प्राप्त भूमि से अप्रार्थी क्रम 1 को 2.4155 hec की ही प्रथम ख०न० 234 रकबा ... माना ... हद्द या पैतृक आराजी ... चतुर्थ पुरुष पीढ़ी से ... है। अतः ख०न० 234 रकबा ... हिस्सा 1/2 x 1/7 यानी 1/14 के कुछ तक प्रकरण प्रथम हद्द या प्रार्थी के पक्ष में साबित है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:23:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

(क) सुविधा का संतुलन :- ग्राम डोला की वादग्रस्त आराजी ख० नं० 234 रकबा 2.4155 है। के प्रथम दृष्ट्या पैतृक सम्पत्ति होने और The Hindu Succession Act के अनुसार (नक्शा क्रम 3 में अंकित सजरे अनुसार) हिस्सा 1/14 तक प्रार्थी का जन्म से Notional share निहित है। प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी क्रम 1 उक्त आराजी का बेचान कर प्रार्थी को उसकी पैतृक अधिकारी से वंचित कर भोजन के लिए तरसने पर मजबूर करना चाहता है। अप्रार्थी 1 को उक्त पैतृक आराजी में से केवल अपने निहित Notional share 1/14 को ही बेचान आदि करने का अधिकार है। शेष 06/14 यानी 3/7 भाग को बेचने का अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थी के निहित हिस्से 1/14 तक सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित है।

(ख) अपूरणीय क्षति :- ख० नं० 234 रकबा 2.4155 hec में प्रार्थी के निहित Notional share 1/14 तक प्रकरण प्रथम दृष्ट्या एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित है। यदि अप्रार्थी 1 द्वारा ख० नं० 234 में अपने सम्पूर्ण हिस्से 1/2 का बेचान किसी अन्य व्यक्ति को किया जाता है तो [illegible] ना केवल अपने पैतृक [illegible] के [illegible] से वंचित होना पड़ेगा। बल्कि [illegible] के रूप में भरण पोषण के लिये संघर्ष करना पड़ सकता है और इसलिये प्रार्थी को अपूरणीय क्षति

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... जिला ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:23:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
जारी होगी।	

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रा० पत्र u/s 212 RT Act r.w. O. 39 R 1&2 CPC आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी क्रम 1 को तस्फैसलामुलवाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ग्राम डोला की वादग्रस्त आराजी ख० नं० 239 रकबा 2.4155 hect में अपने दर्ज हिस्से 1/2 में से 1/7 यानी कुल 1/14 भाग से अधिक का रहन, बैनामा या अन्य अन्तरण नहीं करे। अप्रार्थी क्रम 2 ऐसे किसी अंतरण का पंजीयन नहीं करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:23:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner